



फ़िलिओ नं० एल. डब्ल्यू. / एन. पी. ३४१

लाइसेंस नं० डब्ल्यू. पी०-४१

लाइसेंस द. पोस्ट एंड टेलीग्राफ़

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-१, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, १७ अगस्त, १९९१

श्रावण २६, १९१३ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-१

संख्या १५२६/सदह-वि-१-१ (क)-२५-१९९१

लखनऊ, १७ अगस्त, १९९१

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद २०० के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९९१ पर दिनांक १७ अगस्त, १९९१ की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २५ सन् १९९१ के रूप में सर्वसाधारण की सूचना यह इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९९१

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २५ सन् १९९१)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के ब्याप्तिसर्वे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

१-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, १९९१ कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 8
सन् 1962
की धारा
53 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की धारा 53 में उपधारा (1) में शब्द "चौदह वर्ष" के स्थान पर शब्द "पंद्रह वर्ष" रख दिए जावेंगे।

आता से,
नारायण दास,
सचिव।

No. 1526 (2)/XVII-V-1-1(KA)-25-1991

Dated Lucknow, August 17, 1991

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1991 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 1991) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 17, 1991.

THE UTTAR PRADESH HOMOEOPATHIC MEDICINE (SECOND AMENDMENT) ACT, 1991

[U.P. Act No. 25 of 1991]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951

IT IS HEREBY enacted in the Forty-second Year of the Republic of India as follows: -

Short Title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Second Amendment) Act, 1991.

Amendment of

2. In section 53 of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, section 53 of U.P. 1951, in sub-section (1) for the words "Fourteen years" the words "Fifteen years" shall be substituted.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.